एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक)

रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

सिक्युरिटाईजेशन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग सूचना पत्र

अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी है। ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की''धारा 13(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी ने ऋण खातों के गैर निष्पादनीय आस्तियों (एन.पी.ए.) होने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार ऋणीयों/सह-ऋणीयों/ गारण्टर बंधककर्ताओं (जिन्हें आगे ऋणी/ऋणीयों के नाम से सम्बोधित किया जायेगा) को 60 दिनों के नोटिस प्रेषित किये थे, नोटिस के अनुसार यदि ऋणी 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नही करवाते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13 उपधारा 4 व 14 के अन्तर्गत कदम उठाने हेतु स्वतंत्र होगा। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसे प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा लेने की शक्ति तथा उनका विक्रय करना सम्मिलित है। अतः आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि निम्न सूची में दी गई सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि भविष्य के ब्याज तथा खर्चो एवं लागतों इत्यादि के साथ 60 दिवस के भीतर जमा करवा दें। इसके अतिरिक्त आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त 13(13) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति के पश्चात प्रतिभूत लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना सूचना में निर्दिष्ट अपनी किन्ही प्रतिभूत आस्तियों को विक्रय द्वारा या पट्टे द्वारा अथवा किसी माध्यम से अन्तरित नहीं करेंगे। ऋणीयों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(8) सपठित नियम 3 (5) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अनुसार ऋणी अपनी बंधक सम्पत्ति को उसके द्वारा उपगत सभी खर्चो प्रभारों और व्ययों के सहित प्रतिभूत लेनदार द्वारा विक्रय या अन्तरण के लिये नीलामी सूचना के प्रकाशन से पूर्व किसी भी समय भुगतान करके मुक्त करवा सकते है।

ऋण खाता संख्या / ऋणी/सहऋणी/ बन्धकर्ता/गारन्टर का नाम	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
(खाता सं.) L9001060101007421 **मीरज गौतम (ऋणी)**, रामबीर कुमार (सह-ऋणी), श्रीमती निशा गौतम (सह-ऋणी)	14 नवम्बर 2024 ₹ 924715/- रु. नौ लाख चौबीस हजार सात सौ पन्द्रह मात्र दिनांक 12 नवम्बर 2024	संपत्ति स्थित फ्लेट नं. 150, न्याय खण्ड 3, ग्राउण्ड फ्लोर, बिल्डिंग इन्दिरापुरम, जिला-गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश **क्षेत्रफल 24 वर्ग मीटर**
(खाता सं.) L9001060114334063 **वीरपाल सिंह (ऋणी)**, छत्र पाल (सह-ऋणी), श्रीमती पुष्पा देवी (सह-ऋणी)	13 नवम्बर 2024 ₹ 2082529/- रु. बीस लाख बयासी हजार पांच सौ उनतीस मात्र दिनांक 12 नवम्बर 2024	संपत्ति स्थित प्लांट नं. 32 व 33 खसरा नं. 1079, ब्रिज विहार कॉलोनी, करबा दादरी, जिला-गौतम बुद्धा नगर, उत्तरप्रदेश **क्षेत्रफल 150 वर्ग गज**
(खाता सं.) L9001060115614490 **आनन्द खन्ना (ऋणी)**, विभोर खन्ना (सह-ऋणी)	13 नवम्बर 2024 ₹ 1008815/- रु. दस लाख आठ हजार आठ सौ पन्द्रह मात्र दिनांक 12 नवम्बर 2024	संपत्ति स्थित फ्लेट नं. 22 डी, ब्लॉक बी-12 ए, सेक्टर-34, नोएडा, जिला-गौतम बुद्ध नगर, उत्तरप्रदेश **क्षेत्रफल 67.10 वर्ग मीटर**
(खाता सं.) L9001060817864915 **बंगलो इलेक्ट्रीक कम्पनी (ऋणी)**, आनन्द खन्ना (सह-ऋणी), विभोर खन्ना (सह-ऋणी)	13 नवम्बर 2024 ₹ 653103/- रु. छः लाख तिरेपन हजार एक सौ तीन मात्र दिनांक 12 नवम्बर 2024	संपत्ति स्थित फ्लेट नं. 22 डी, ब्लॉक बी-12 ए, सेक्टर-34, नोएडा, जिला-गौतम बुद्ध नगर, उत्तरप्रदेश **क्षेत्रफल 67.10 वर्ग मीटर**
(खाता सं.) L9001060118525445 **देव ट्रेडिंग कम्पनी जरिए प्रोपराईटर शेषमणि तिवारी (ऋणी)**, श्रीमती शेष मणि तिवारी (सह-ऋणी), श्रीमती आरती तिवारी (सह-ऋणी), देवमणि तिवारी (सह-ऋणी), श्रीमती मिथलेश तिवारी (सह-ऋणी)	13 नवम्बर 2024 ₹ 2241219/- रु. बाईस लाख इकतालीस हजार दो सौ उन्नीस मात्र दिनांक 12 नवम्बर 2024	संपत्ति स्थित शेषमणि का प्लांट प्रो पुराना नं. 1832 1833 ग्राउण्ड फ्लोर 2 शॉप्स प्राईवेट नं. जीएफ 30 31 छत अधिकार फ्रीहोल्ड मुंसिपल नं. 364243 गली लोहे वाली छावड़ी बाजारवार्ड नं. वीआई दिल्ली दिल्ली 110006 वेल्यूएशन के अनुसार मराठी मार्केट पी.एन. 3642-43 गली लोहे वाली, छावडी बाजार **क्षेत्रफल 131.75 वर्ग फीट**
(खाता सं.) L9001060121230121 **मैसर्स दी वेडिंग फ्रेम्स जरिए प्रोपराईटर धर्मेन्द्र सिंह (ऋणी)**, अरूण शर्मा (सह-ऋणी), धर्मेन्द्र सिंह (सह-ऋणी), श्रीमती अंतिम चौधरी (सह-ऋणी)	13 नवम्बर 2024 ₹ 1081366.35/- रु. दस लाख इक्यासी हजार तीन सौ छियासठ व पैंतीस पैसे मात्र दिनांक 12 नवम्बर 2024	संपत्ति स्थित दूसरी मंजिल छत अधिकार के बियरिंग प्लांट नं. 287, ब्लॉक नं. सी-4, यमुना विहार, दिल्ली **क्षेत्रफल 35 वर्ग मीटर**
(खाता सं.) L9001070925946730 **हरप्रीत सिंह (ऋणी)**, श्रीमती रमनदीप कौर (सह-ऋणी)	14 नवम्बर 2024 ₹ 1588443/- रु. पन्द्रह लाख अट्ठासी हजार चार सौ तैंतालीस मात्र दिनांक 12 नवम्बर 2024	संपत्ति स्थित ब्लॉक-ए, सेक्टर-132, प्लांट नं. 4, यूनिट नं. 332, फ्लोर नं. 3, टॉवर-बी, नोएडा, जिला-गौतम बुद्धा नगर, उत्तरप्रदेश **क्षेत्रफल 999 वर्ग फीट**
(खाता सं.) L9001060124972350 **महालक्ष्मी जनरल स्टोर (ऋणी)**, जसवीर सिंह (सह-ऋणी), श्रीमती रश्मि आर (सह-ऋणी)	14 नवम्बर 2024 ₹ 3546499/- रु. पैंतीस लाख छियालीस हजार चार सौ निन्यानबे मात्र दिनांक 12 नवम्बर 2024	संपत्ति स्थित प्लांट नं. डी-571, खसरा नं. 41/24 के बाहर, गांव-नरेला, दिल्ली आबादी, गली नं .8 के नाम से जानी जाने वाली, गौत्तम कॉलोनी, नरेला, दिल्ली **क्षेत्रफल 169.75 वर्ग गज**
(खाता सं.) L9001060831551555 **महालक्ष्मी जनरल स्टोर (ऋणी)**, श्रीमती रश्मि आर (सह-ऋणी), जसवीर सिंह (सह-ऋणी)	14 नवम्बर 2024 ₹ 1166224/- रु. ग्यारह लाख छियासठ हजार दो सौ चौबीस मात्र दिनांक 12 नवम्बर 2024	संपत्ति स्थित प्लांट नं. डी-571, खसरा नं. 41/24 के बाहर, गांव-नरेला, दिल्ली आबादी, गली नं .8 के नाम से जानी जाने वाली, गौत्तम कॉलोनी, नरेला, दिल्ली **क्षेत्रफल 169.75 वर्ग गज**
(खाता सं.) L9001060125506351 **शिव शक्ति स्टोर (ऋणी)**, श्रीमती विमला देवी (सह-ऋणी), मदन लाल (सह-ऋणी)	14 नवम्बर 2024 ₹ 1301455/- रु. तेरह लाख एक हजार चार सौ पचपन मात्र दिनांक 12 नवम्बर 2024	संपत्ति स्थित खसरा नं. 122 123 गली नं. 36, पालम, राजापुरी कॉलोनी पश्चिम दिल्ली, दिल्ली **क्षेत्रफल 44 वर्ग गज**
(खाता सं.) L9001060839206474 **मान सिंह नागर (ऋणी)**, मनोज कुमार (सह-ऋणी), श्रीमती जयवती बिष्ती (सह-ऋणी)	14 नवम्बर 2024 ₹ 516675/- रु. पांच लाख सोलह हजार छः सौ पचहत्तर मात्र दिनांक 12 नवम्बर 2024	संपत्ति स्थित खसरा नं. 2627-2, वार्ड नं. 11, बांगड़ मोहल्ला, गांव-हापुर, जिला-गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश **क्षेत्रफल 180 वर्ग गज**
(खाता सं.) L9001060136647227 **रमेश खटाना (ऋणी)**, श्रीमती रामकली केशरी (सह-ऋणी)	14 नवम्बर 2024 ₹ 1961740/- रु. उन्नीस लाख इकसठ हजार सात सौ चालीस मात्र दिनांक 12 नवम्बर 2024	संपत्ति स्थित खसरा नं. 364 के बाहर, हाउस नं. 12, मंदिर के पास, तहसील धौलाना, जिला-गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश **क्षेत्रफल 360 वर्ग गज**

स्थान : दिल्ली **दिनांक: 06-01-2025** **प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

TATA

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजिनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-40013
शाखा कार्यालय : टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बी-36, प्रथम एवं द्वितीय तल, लाजपत नगर-भाग 2, एचडीएफसी बैंक के ऊपर, नई दिल्ली-110024

अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8(6) के तहत)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं नियम 9(1) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु 30 दिनों की ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्वारा जनसामान्य को और विशेष रूप से निम्नलिखित कर्जदार/सह-कर्जदार अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों (कर्जदारों) को सूचना दी जाती है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएचएफएल) के पास नीचे वर्णित बंधक अचल सम्पत्ति, जिसका कब्जा टीसीएचएफएल के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, कर्जदारों तथा सह-कर्जदारों से कुल राशि की वसूली हेतु **''जहाँ है जैसे है'', ''जो है जैसे है'', ''जो भी है वहीं है'' तथा ''बिना किसी प्रभार के''** के आधार पर 10.02.2025 को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि नीचे उल्लिखित है।

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि बिक्री के किसी आस्थगन/असततता की अनुपस्थिति में, आस्ति/सम्पत्ति की बिक्री ई-नीलामी द्वारा कथित 10.02.2025 को 2 बजे अप. को की जायेगी। ई-नीलामी में भाग लेने हेतु ईएमडी के डिमाण्ड ड्राफ्ट वाला मुहरबन्द लिफाफा टीसीएचएफएल के अधिकृत प्राधिकारी के पास शाखा पता टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बी-36, प्रथम एवं द्वितीय तल, लाजपत नगर, भाग-2, एचडीएफसी बैंक के ऊपर, नई दिल्ली-110024 पर **08.02.2025 को 5 बजे अप. तक** जमा करना है।

प्रतिभूत आस्ति/अचल सम्पत्ति की बिक्री **''जहाँ है जैसे है स्थिति''** में नीचे वर्णित संक्षिप्त विवरणों के अनुसार की जायेगी :

क्र. सं.	ऋण खाता सं. तथा शाखा	कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों) विधिक उत्तराधिकारी (यों)/विधिक प्रतिनिधि/ जमानती(यों) का नाम	माँग सूचना के अनुसार बकाया राशि	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि	कब्जे का प्रकार	28-12-2024 तक बकाया
1	10561770 & 10581594	श्री सुभाष सिंह पुत्र श्री रघुबीर सिंह और श्रीमती तरुणा पत्नी श्री सुभाष सिंह	रु. 41,64,877/- (रुपये इकतालिस लाख चौसठ हजार आठ सौ सतहत्तर मात्र) की राशि आपके द्वारा ऋण खाता संख्या 10561770 के अंतर्गत देय और बकाया है तथा रु. 86,094/- (रुपये छियासी हजार चौरानबे मात्र) की राशि आपके द्वारा ऋण खाता संख्या 10581594 के अंतर्गत देय और बकाया है, अर्थात कुल रु. 42,50,971/- (रुपये बयालीस लाख पचास हजार नौ सौ इकहत्तर मात्र) और दिनांक 12/06/2024	रु. 42,67,000/- (रुपये बयालीस लाख सड़सठ हजार मात्र)	रु. 4,26,700/- (रुपये चार लाख छब्बीस हजार सात सौ मात्र)	भौतिक	रु. 1,06,103/- (रुपये एक लाख छह हजार एक सौ तीन मात्र) अनुबंध संख्या 10581594 के तहत आपके द्वारा देय है और रु. 44,29,310/- (रुपये चौवालीस लाख उनतीस हजार तीन सौ दस मात्र) की राशि अनुबंध संख्या 10561770 के तहत आपके द्वारा देय है, जो कुल रु. 45,35,413/- (रुपये पैंतालीस लाख पैंतीस हजार चार सौ तेरह मात्र) है।

अचल संपत्ति का विवरण: 1. फ्रीहोल्ड संपूर्ण दूसरी मंजिल (छत/टेरेस अधिकारों के बिना), हस्तांतरण के तहत प्लिंथ क्षेत्र 25.90 वर्ग मीटर, कुल प्लिंथ क्षेत्र 103.6 वर्ग मीटर में से, निर्मित आवासीय संपत्ति संख्या 460, नीचे की भूमि में अविभाजित आनुपातिक हिस्सेदारी के साथ, रोहिणी आवासीय योजना, ब्लॉक - बी, पॉकेट -05, सेक्टर -5, रोहिणी, दिल्ली -110085 के लेआउट प्लान में स्थित, जिसमें बिक्री विलेख संख्या 2176 दिनांक 26/02/2019 में उल्लिखित सभी सामान्य सुविधाएं, सीमाएं: पूर्व - प्रवेश, पश्चिम - प्लॉट सं. 358, उत्तर- प्लॉट सं. 461, दक्षिण- प्लॉट सं. 459. और
2. फ्रीहोल्ड संपूर्ण दूसरी मंजिल (छत/टेरेस अधिकारों के बिना), हस्तांतरण के तहत प्लिंथ क्षेत्र 25.90 वर्ग मीटर, कुल प्लिंथ क्षेत्र 103.6 वर्ग मीटर में से, निर्मित आवासीय संपत्ति संख्या 459, नीचे की भूमि में अविभाजित आनुपातिक हिस्सेदारी के साथ, रोहिणी आवासीय योजना, ब्लॉक - बी, पॉकेट - 05, सेक्टर - 5, रोहिणी, दिल्ली -110085 के लेआउट प्लान में स्थित, बिक्री विलेख संख्या 2177 दिनांक 26/02/2019 में उल्लिखित सभी सामान्य सुविधाएं, सीमाएं: पूर्व-खुला, पश्चिम-प्लॉट सं. 359, उत्तर-प्लॉट सं. 460, दक्षिण-प्लॉट सं. 454 तथा 453.

नीलामी में आम जनता को व्यक्तिगत रूप से निविदा जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ऐसे किसी भी अधिकारी या व्यक्ति जिन्हें इस बिक्री के सिलसिले में किसी भी प्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करना हो, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति में कोई हित अर्जित या अर्जित करने का प्रयास नहीं करेंगे।

यह बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 में निर्धारित शर्तों तथा आगे निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :

नोट : यह ई-नीलामी बिक्री प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ पोर्टल **https://bankauctions.in/** के माध्यम से 10.02.2025 **को 2.00 बजे अप से 3.00 बजे** अप के बीच आयोजित की जायेगी।

नियम एवं शर्तें : 1. संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत किये गये हैं, लेकिन इस उद्घोषणा में किसी गलती अथवा खामी के लिये अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो प्रतिभूत लेनदार के विवेकानुसार लॉट को फिर से नीलामी पर प्रस्तुत किया जायेगा। 2. आरक्षित मूल्य से कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी। 3. बोली वृद्धि राशि **रु. 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र)** होगी। 4. सम्पत्ति के विक्रय हेतु जमा की गयी समस्त संविदाओं के साथ ऊपर लिखे के अनुसार जमा धरोहर राशि शाखा पता में देय **''टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि.''** के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी। असफल संविदाकारों को नीलामी के पश्चात डिमाण्ड ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा। एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के माध्यम से ईएमडी जमा करने के लिए कृपया अधिकृत प्राधिकारी से सम्पर्क करें। 5. उच्चतम संविदाकार को सफल संविदाकार घोषित कर दिया जायेगा बशर्ते कि वह संविदा के लिए वैधानिक रूप से पात्र हो और बशर्ते कि उसके द्वारा संविदा की राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से इतना अपर्याप्त हो कि यह ऐसा करने के लिए अपरामर्शनीय हो तो 'अधिकृत प्राधिकारी' का विशेषाधिकार होगा कि वह उच्चतम संविदा की स्वीकृति को मना कर दे। 6. कारणों को अभिलिखित करने हेतु, 'अधिकृत प्राधिकारी' विक्रय को स्थगित/अनिरन्तर करने का विशेषाधिकार रखेगा। 7. सम्पत्ति का निरीक्षण 03.02.2025 को 11 बजे प्रातः से 5.00 बजे सायं के बीच किया जा सकता है। 8. सफल क्रेता घोषित किये गये व्यक्ति को ऐसी उद्घोषणा के तुरन्त बाद क्रय राशि/संविदा जिसमें ईएमडी राशि शामिल है, का पच्चीस प्रतिशत 'अधिकृत प्राधिकारी' के पास 24 घंटे के भीतर जमा करना होगा और इस राशि के जमा करने में असफल रहने पर सम्पत्ति को निजी सन्धि द्वारा पुनः नीलामी/बिक्री के लिए रखा जायेगा। 9. यदि उपर्युक्त के अनुसार प्रारम्भिक राशि अदा कर दी जाती है तो क्रय राशि की शेष देय राशि क्रेता द्वारा सम्पत्ति के विक्रय की पुष्टि की तिथि के 15वें दिन को या इससे पूर्व 'अधिकृत प्राधिकारी' के पास जमा करनी होगी, यदि उस 15वें दिन रविवार या कोई अन्य अवकाश होता है तो इसे 15वें दिन के बाद पहले कार्यालयी दिन पर जमा करनी होगी। 10. उपरोक्त अवधि में भुगतान में चूक करने पर निजी सन्धि द्वारा सम्पत्ति की फिर से नीलामी/बिक्री की जायेगी। ईएमडी सहित जमा की गई राशि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा जब्त कर ली जायेगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस सम्पत्ति के सभी दावों से वंचित हो जाएंगे। 11. टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को सम्पत्ति के प्रति देय अधिभारों की जानकारी का विवरण शून्य, सम्पत्ति पर रखे गये दावे अथवा उस प्रकृति एवं मूल्य के अन्य ज्ञात विवरण: शून्य। इच्छुक संविदाकार को सम्पत्ति कर, बिजली आदि के विधिक बकायों सहित सम्पत्ति पर ऋणभारों से सम्बन्धित अपनी स्वतन्त्र पूछताछ करने का परामर्श दिया जाता है। 12. अन्य विवरणों अथवा ऑनलाइन ई-नीलामी प्रक्रिया पर प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता अन्य विवरणों अथवा ऑनलाइन ई-नीलामी प्रक्रिया पर प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता हमारे सेवा प्रदाता मैसर्स 4क्लोजर, ब्लॉक नं. 605 ए, 6ठा तल, मैत्रीवनम कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, अमीरपेत, हैदराबाद-500038 से ई-मेल : **Info@ bankauctlons.ln** अथवा मनीष बंसल से ई-मेल आईडी : **Manish.Bansal@tatacapital.com** अधिकृत प्राधिकारी मोबाइल नं. 8588983696 से सम्पर्क कर सकते हैं। कृपया अपनी पूछताछ ह्वाट्सएप नम्बर : 9999078669 पर करें। 13. उच्चतम घोषित संविदा राशि पर 1% टीडीएस देना होगा और यह उच्चतम संविदाकार द्वारा अदा किया जायेगा। उच्चतम संविदाकार द्वारा भुगतान स्वामी/कर्जदार(रों) के पैन पर जमा करनी होगी तथा चालान की प्रति हमारी कम्पनी के पास जमा करनी होगी। 14. उपर्युक्त विवरण कृपया लिए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट **http://surl.li/kunnmg** में प्रावधानित लिंक देखें। 15. कृपया लिंक **https://www.tatacapital.com/property-disposal.html** भी देखें।

कृपया ध्यान दें - टीसीएचएफएल ने इस संपत्ति की बिक्री/नीलामी के लिए उल्लिखित नीलामी भागीदार के अलावा किसी भी दलाल/एजेंट को नियुक्त नहीं किया है। इच्छुक पार्टियों को इस मामले में सभी प्रश्नों और पूछताछ के लिए केवल अधोहस्ताक्षरी या अधिकृत अधिकारी से संपर्क करना चाहिए।

स्थान : दिल्ली **ह./- अधिकृत प्राधिकारी**
तिथि : 07.01.2025 **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

ऋणधारकों के लिए सूचना

ऋणधारक/कों : श्री मोनू, श्रीमती पिंकी चौहान (प्रॉस्पेक्ट नं. ILI0032582) प्रतिभूत परिसम्पत्तियों फ्लैट नं. सी-546बी, 2रा तल, छत के अधिकार के बिना, एरिया माप 357 वर्ग फीट निर्मित एरिया, सी-ब्लॉक, सेक्टर 8, टी.एच.ए., एलआईजी, गाजियाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत-201010 का कब्जा लेने के अनुपालन में जो ऋणधारकों/प्राधिकृत अधिकारी से बकाया राशि की वसूली के लिए सरफैसी अधिनियम के अंतर्गत आईआईएफएल, होम फाइनांस लिमिटेड (आईआईएफएल-एचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जे में ली गई उक्त ऋणधारकों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि 7 दिनों के भीतर भौतिक कब्जा लेने के समय में प्रतिभूत परिसम्पत्तियों में पड़ी घरेलू सामग्रियों को हटा लें अन्यथा आईआईएफएल-एचएफएल किसी भी परिस्थिति में सम्पत्ति को हुई किसी भी क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

एतद्द्वारा ऋणधारकों को पुनः सूचित किया जाता है यदि उक्त सम्पत्तियों को प्राप्त करने में विफल होते हैं तो कानून के अनुसार उसकी बिक्री कर दी जाएगी।

विस्तृत विवरणों के लिए सोमवार से शुक्रवार तक 9.30 बजे से 18.00 बजे तक टोल फ्री नं. 18002672499 पर सम्पर्क करें या auction.hl@iifl.com पर ईमेल करें।

कॉर्पोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 98, फेज-IV, उद्योग विहार, गुड़गांव हरियाणा-122015

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : गाजियाबाद आईआईएफएल होम फाइनांस लिमिटेड (आईआईएफएल-एचएफएल
तिथि : 6 जन., 2025 (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनांस लि. विदित)

HDFC BANK
We understand your world

लीगल सेल
प्लॉट # 31, नजगफड़ इंडस्ट्रियल एरिया, टावर-ए 1st फ्लोर, शिवजी मार्ग, मोती नगर नई दिल्ली-110015

परिशिष्ट -IV [नियम 8 (6) का प्रावधान देखें]

अचल संमत्तियों की बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तिय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुननिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना एतद्द्वारा जन-साधारण तथा विशेष रूप से ऋणधारकों कों तथा गारंटरों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूति क्रेडीटर के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति जिसका एच.डी.एफ.सी बैंक लि. प्रतिभूति क्रेडीटर के प्रधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है, की 1) **मैं. एडीजी सॉल्यूशन्स प्रा.लि. द्वारा उसके निदेशक श्री कुशवंत राय बेदी एवं श्रीमती दीया सयाल ii)श्रीमती दीपा सयाल एवं iii)श्री कुशवंश राय बेदी से एच.डी.एफ.सी बैंक लि.** प्रतिभूति क्रेडीटर के बकाये आगे के ब्याज तथा लागू होने वाले चार्चेज के साथ 02.05.2017 को बकाया रू. 25,95,270/- की वसूली के लिये 05 फरवरी 2025 को बिक्री की जाएगी। आरक्षित मूल्य रू. 22,50,000/- तथा धरोहर राशि भुगतान रू. 2,25,000/- प्रति संपत्ति के लिये होगा।

अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण

चार्मवुड प्लाजा, ईरोज गार्डन कॉलोनी, सूरजकुंड रोड, फरीदाबाद में स्थित व्यावसाथिक स्थान सं-03, निम्न भूतल पर, माप 415 वर्ग फीट। बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तो के लिये कृपया एच.डी.एफ.सी बैंक लि. प्रतिभूति क्रेडीटर की वेबसाइट **https://www.hdfcbank.com/personal/resources/important-notices.** में दी गई लिंक देखें।

तिथि: 07.01.2025 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान: दिल्ली **एच.डी.एफ.सी बैंक लि.**

HDFC BANK
We understand your world

लीगल सेल
प्लॉट # 31, नजगफड़ इंडस्ट्रियल एरिया, टॉवर-ए, 1ला तल, शिवाजी मार्ग, मोती नगर, नई दिल्ली-110015

''परिशिष्ट-IV-ए [नियम 8(6) का प्रावधान देखें

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा जन-साधारण तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारंटरों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका एचडीएफसी बैंक लि., प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है, की 1) मै. अजीत ट्रेडिंग कम्पनी (प्रॉप्राइटर श्री दिलीप जैन, ii) श्री दिलीप जैन, iii) श्रीमती दिव्या जैन से एचडीएफसी बैंक लि., प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये आगे के ब्याज तथा लागू होने वाले चार्जेज के साथ 31.8.2021 को बकाया रु. 22,09,639/- की वसूली के लिये 06 फरवरी, 2025 को बिक्री की जाएगी। आरक्षित मूल्य रु. 25,92,000/- तथा धरोहर राशि भुगतान रु. 2,59,200/- प्रति सम्पत्ति के लिये होगा।

अचल सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण

ग्राम मोर्टा, परगणा जलालाबाद, तहसील एवं जिला गाजियाबाद (उ.प्र.) के क्षेत्र में स्थित भूमि खसरा नं. 238 पर निर्मित मोती रेजीडन्सी के नाम से विदित ग्रुप हाउसिग कॉम्प्लैक्स में टावर ए पर 5वें तल पर फ्लैट नं. ए-502, सुपर एरिया माप 124.02 वर्ग मी.

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया एचडीएफसी बैंक लि., प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाइट https://www.hdfcbank.com/personal/resources/important-notices में दी गई लिंक देखें।

तिथि: 07.01.2025 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान: दिल्ली **एचडीएफसी बैंक लि.**

सूचना
फॉर्म- इनसी-२६
नियम ३० के अनुसार, [कंपनिस (इंकॉर्पोरेशंन) रूल्स २०१४
मौजूदा कंपनियों केलाइसेंस के लिए अखबार मेंविज्ञापन प्रकाशित कियाजाएगा

क्षेत्रीय निदेशक केसमक्ष, (उत्तरीक्षेत्र)
कंपनिस एक्ट, २०१३ की सेक्शन 13(४), औरकंपनिस (इंकॉर्पोरेशंन) रूल्स २०१४ के नियम ३० (६) (ए) के मामले में
स्ट्रैटडीप प्राइवेट लिमिटेड केमामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालय मकानएम-१८, दूसरी मंजिलसाकेत, नईदिल्ली, दिल्ली, भारत, ११००१७, मेंहै।
(सीइन: यू ७४९९६इल२०२२प्ट्ब४०६१८०)

...याचिकाकर्ता

आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि कंपनी, कंपनिस एक्ट, २०१३, की धारा १३ और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत क्षेत्रीय निदेशक को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें विशेष शर्तों के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव के लिए मंजूरी मांगा है, ताकि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को नई दिल्ली राज्य से हरियाणा राज्य में बदलने में सक्षम हो सके। यह प्रस्ताव, शनिवार, २८ सितंबर, २०२४ को आयोजित अपनी वार्षिक आम बैठक में कंपनी द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार, है।

कोईभी व्यक्ति, जिसकाहित कंपनी केपंजीकृत कार्यालय कोनई दिल्ली राज्यसे हरियाणा राज्यमें प्रस्तावित स्थानांतरणसे प्रभावित होनेकी संभावना है, वह या तो एमसीए-२१पोर्टल (www.mca.gov.in) परया तो पंजीकृत डाक से आपत्ति या आपत्तियों को रेजिस्टरार ऑफ कंपनिस को दे सकता है।

प्रस्तावित बदलाव पर आपत्ति या आपत्तियों के समर्थन मेंक्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र को एक हलफनामे द्वाराकिया जाना चाहिए। हलफनामे में उसकी प्रभाव काप्रकार और कंपनी रजिस्ट्रार, नई दिल्ली केविरोध के आधार का उल्लेख होनाजरूरी है। आपत्ति या आपत्तियों को निम्नलिखित पते पर, इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनों के भीतर, भेजा किया जाना चाहिए -- रेजिस्टरार ऑफ कंपनिस, नई दिल्ली (बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पं.दीनदयाल अंत्योदय भवन, दूसरी मंजिल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - ११०००३)। हलफनामे की मूल प्रति रीजनल डिरेक्टर, नोर्थरन रीजन, उत्तरी क्षेत्रको भेजनी चाहिएऔर एक प्रति याचिकाकर्ताको कंपनी केपंजीकृत कार्यालय मेंनीचे बताए अनुसार भेजा जाना जरूरी है।

एम-१८, दूसरी मंजिल साकेत, नई दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली, भारत, ११००१७।

स्ट्रैटडीप प्राइवेट लिमिटेड के लिएऔर उसकीओर से
हस्ताक्षर किए/-
सैकत दत्ता
दिनांक: ०६ - ०१ -२०२५ **निदेशक**
स्थान: नई दिल्ली **